

अनुदान संख्या 40 - पेंशन
GRANT No. 40-PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	17,83,00		
पूरक	Supplementary	4,69,00	22,52,00	22,10,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-41,51
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	5907,17,00		
पूरक	Supplementary	382,31,00	6289,48,00	6256,73,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-32,74,50
				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संग्रहीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के संवितरण के लिए था।

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme and Defined Contribution Pension Scheme.

2. अनुदान के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits			
मू.	O.	1775.00	2244.00	2202.75
पू.	S.	469.00		

(I) 1.00 लाख रु. का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) "सिविल - अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - साधारण पेंशन" के अंतर्गत 280.00 लाख रु. के मूल विनियोग को मार्च, 2006 में 209.70 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ा कर 489.70 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण 34.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Civil - Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - the original appropriation of Rs.280.00 lakhs was augmented to Rs.489.70 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.209.70 lakhs in March, 2006 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.34.33 lakhs - due to receipt of less claims than anticipated.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 88.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 29 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.88.37 lakhs occurred constituting 29 percent of the sanctioned appropriation.

3. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 54.13 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत विनियोग का 15 प्रतिशत थीं।

3. The above savings were partly offset by an excess of Rs.54.13 lakhs under one head constituting 15 percent of the sanctioned appropriation.

4. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits			
मू.	O.	587265.00	625496.00	622121.83
पू.	S.	38231.00		
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare		3452.00	3551.67
(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।				(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case.
(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत मार्च 2006 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-				(II) Supplementary grant obtained in March, 2006 under Major Head "2071" - "Civil" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-
(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते" -				(A) "Superannuation and Retirement Allowances" -
(क) "साधारण पेंशनें" - 309847.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 29234.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 339081.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 5712.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;				(a) "Ordinary Pensions" - the original provision of Rs.309847.00 lakhs was augmented to Rs.339081.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.29234.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5712.95 lakhs;
(ख) "केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को चिकित्सा उपचार प्रतिपूर्ति की अदायगी" - 27000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 27500.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो 71.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;				(b) "Payments towards Medical Treatment reimbursement to Central Government Pensioners" - the original provision of Rs.27000.00 lakhs was augmented to Rs.27500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.500.00 lakhs which, however, remained utilised to the extent of Rs.71.46 lakhs;

(खा) "परिवार पेंशनें" - 72910.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4747.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 77657.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, 1888.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(III) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) "उपदान - साधारण पेंशन" - 965.57 लाख रु. की बचत (74650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "छुट्टी नकदीकरण - साधारण पेंशन" - 1444.19 लाख रु. की बचत (35000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" -

(का) "निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान - सरकारी अंशदान" - 1168.69 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 2600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रत्याशा से अधिक राशि दर्ज किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य - साधारण पेंशन" - 5548.71 लाख रु. का अधिक व्यय (62600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(II) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधियां - सामान्य भविष्य निधि की संशोधित निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम" - 134.04 लाख रु. का अधिक व्यय (3298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(B) "Family Pensions" - the original provision of Rs.72910.00 lakhs was augmented to Rs.77657.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4747.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1888.50 lakhs;

(III) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of Rs.956.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.74650.00 lakhs); and

(B) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - saving of Rs.1444.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35000.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less claims than anticipated.

5. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2071" - "Civil" -

(A) "Government Contributions for Defined Contributions Pension Scheme - Government Contribution" - excess of Rs.1168.69 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2600.00 lakhs obtained in March, 2006) was due to more booking by the Ministries/ Departments than anticipated.

(B) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - excess of Rs.5548.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.62600.00 lakhs); and

(II) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds - Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" - excess of Rs.134.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3298.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to receipt of more claims than anticipated.